मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 12(2)85/प्रसको/एक,

भोपाल, दिनांक 15-10-85

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—लोकायुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों निलंबन.

इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई-1/(2) 974/5/1, दिनांक 4-3-76 को अनवृत्ति में राज्य शासन द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि भ्रष्ट आचरण के संबंध में मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को बिना किसी अपवाद के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(पी. एस. मेहता)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ 12(2) 85/प्रसको/एक,

भोपाल, दिनांक 18-10-85

प्रतिलिपि :

1. निबंधन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. निदेशक, मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल.
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
5. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश भवन-2 कोटिल्य लेन नई दिल्ली.
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल
7. राज्यपाल के सचिव,
8. मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीजी/सचिव समस्त राज्य मंत्रीजी की ओर सूचनार्थ

हस्ता./
पी. एस. मेहता
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.